2022/250

श्रीमान जी,

निवेदन है कि श्रीमान् जिला कलक्टर एवं जिला पंजीयक, श्रीगंगानगर के आदेश कमांकः–पंजी/11/2338 दिनांक 23.11.2011 द्वारा श्रीमान् जी को बन्द वसीयत प्रार्थना पत्र एवं बन्द वसीयत खुलवाने बाबत् अधिकृत किया हुआ है। जिसकी पालना में उक्त बन्द वसीयत को खोलने की कार्यवाही की जा रही है।

प्रार्थी मनोज कुमार पुत्र सुरेन्द्र कुमार जाति यादव निवासी 36 पीटीपी मन्नीवाली तहसील सादुलशहर व जिला श्रीगंगानगर ने प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, वारिस प्रमाण पत्र बाबत शपथ पत्र, आई डी प्रूफ एवं मूल रसीद पेश कर निवेदन किया है कि मेरी दादी श्रीमती शांति देवी पत्नी बनवारी लाल जाति यादव निवासी 36 पीटीपी मन्नीवाली तहसील सादुलशहर व जिला श्रीगंगानगर ने दिनांक 15.06.2012 को वसीसत कस्टडी में रखवाई थी। जिनका देहांत दिनांक 15.01.2022 को हो गया था। उनके द्वारा दिनांक 15.06.2012 को रखवाई गयी बंद वसीयत खोला जाकर निष्पादन की कार्यवाही हेतु निवेदन किया है।

प्रार्थी को गवाहान कालू राम पुत्र इन्द्राज एवं शिशपाल पुत्र जगदीश चन्द्र ने पहचाना है। प्रार्थी एवं गवाहों की शिनाख्त अधिवक्ता श्री गुलशन शाक्य ने की है। अतः निर्धारित शुल्क जमा कर सील्ड पैकेट बंद लिफाफा खोले जाने हेतु प्रस्तुत है।

अवलोकनार्थ एवं आदेशार्थ प्रस्तुत है।

जिला पंजीयक महोदय

4/8/22